IS 17900 (Part 7/Sec 4): 2025
Lifts for the Transport of Persons and Goods
Part 7 Lifts for Special Applications
Section 4 Requirements of Lifts for Persons with Disabilities

This Indian Standard defines the minimum technical and functional requirements for lifts intended to provide safe, independent, and equitable access for persons with disabilities in buildings. Published as IS 17900 (Part 7/Sec 4):2025 and superseding IS 15330:2020, the standard forms an integral part of the national framework governing lifts for the transport of persons and goods. It is aligned with the Harmonized Guidelines and Standards for Universal Accessibility in India (2021) and the Rights of Persons with Disabilities (Amendment) Rules 2023, thereby supporting national accessibility and inclusion objectives.

The standard establishes clear provisions related to lift location within accessible routes, entrance design, minimum clear door openings, adjustable door dwell times, and safety features such as non-contact door sensors. It specifies minimum lift car dimensions to accommodate wheelchair users, recommends enhanced dimensions for public buildings, and prescribes stopping and levelling accuracy to ensure safe and comfortable entry and exit.

Further requirements address interior design and fittings, including handrails, lighting levels, slip-resistant flooring, seating provisions, and the use of materials that minimize health risks. Detailed guidance is also provided for accessible control devices, visual and audible signals, tactile and braille features, emergency communication systems, and automatic rescue arrangements.

Through these comprehensive provisions, the standard promotes uniformity, safety, and usability in lift design and operation, contributing to the development of inclusive, accessible, and user-friendly buildings across residential and public infrastructure in India.

IS 17900 (Part 7/Sec 4): 2025
व्यक्तियों और सामानो के परिवहन के लिए लिफ्ट
भाग 7 विशेष अनुप्रयोगों के लिए लिफ्ट
अनुभाग 4 दिव्यांगजन के लिए लिफ्ट की अपेक्षाएँ

यह भारतीय मानक भवनों में दिव्यांगजनों के लिए सुरक्षित, स्वतंत्र एवं समान रूप से सुलभ आवागमन सुनिश्चित करने हेतु लिफ्टों के लिए न्यूनतम तकनीकी एवं कार्यात्मक आवश्यकताओं को परिभाषित करता है। IS 17900 (भाग 7/अनुभाग 4): 2025 के रूप में प्रकाशित यह मानक, IS 15330:2020 का प्रतिस्थापन है और व्यक्तियों एवं सामान के परिवहन हेतु लिफ्टों से संबंधित राष्ट्रीय मानकों की श्रृंखला का एक अभिन्न भाग है। यह मानक *भारत में सार्वभौमिक अभिगम्यता हेतु सामंजस्यपूर्ण दिशानिर्देश एवं मानक (2021)* तथा *दिव्यांगजन अधिकार (संशोधन) नियम, 2023* के अनुरूप है, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर समावेशन एवं अभिगम्यता के उद्देश्यों को समर्थन मिलता है।

मानक में सुलभ मार्गों पर लिफ्ट के स्थान निर्धारण, प्रवेश द्वारों की अभिकल्पना, न्यूनतम 900 मिमी का स्पष्ट द्वार-खुलाव, समायोज्य द्वार-खुले रहने का समय (3 सेकंड से 20 सेकंड), तथा गैर-संपर्क सुरक्षा संवेदकों जैसे प्रावधानों को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है। इसमें व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिए उपयुक्त न्यूनतम लिफ्ट कार आयाम निर्दिष्ट किए गए हैं तथा सार्वजनिक भवनों के लिए बड़े आयामों की अनुशंसा की गई है। सुरक्षित चढ़ने एवं उतरने के लिए ±10 मिमी की रुकने की शुद्धता तथा ±20 मिमी की लेवलिंग शुद्धता भी निर्धारित की गई है।

इसके अतिरिक्त, मानक में लिफ्ट कार के आंतरिक प्रावधानों जैसे हैंडरेल, न्यूनतम 100 लक्स प्रकाश व्यवस्था, फिसलन-रोधी फर्श, बैठने की व्यवस्था, तथा एलर्जी उत्पन्न करने वाली सामग्रियों से बचाव से संबंधित आवश्यकताएँ सम्मिलित हैं। नियंत्रण उपकरणों, दृश्य एवं श्रव्य संकेतों, स्पर्शनीय/ब्रेल चिह्नों, आपातकालीन संचार प्रणालियों तथा स्वचालित बचाव उपकरण (ARD) के लिए भी विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

इन व्यापक प्रावधानों के माध्यम से यह मानक लिफ्टों की अभिकल्पना, स्थापना एवं संचालन में एकरूपता, सुरक्षा और उपयोगिता को बढ़ावा देता है तथा भारत में आवासीय एवं सार्वजनिक भवनों में समावेशी, सुलभ एवं उपयोगकर्ता-अनुकूल अवसंरचना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान करता है।